




न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

उसीद कुमार महतो

बनाम

शेनय कुमार महतो वगैरह

| क्र०/तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | की गई कार्रवाई |
|-----------|--|----------------|
| | <p>अभिलेख सं०-एम...<u>177</u>.../2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी <u>श्रीनाथु</u> के अप्राथमिकी सं०-<u>18/17</u> दिनांक-<u>21/12/17</u> प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>शराब पीकर आपस में भापीर करने की तैयारी में लिप्त है।</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि <u>19/01/18</u> को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> </div> <p><u>अभिलेख उपस्थापित / उभय पक्ष उपस्थित / उभय पक्ष अलग दाखिल की। दिनांक 12-02-18 को रखने।</u></p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  19/1/18 </div> | |

19-01-18

| तिथि | आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर |
|----------|--|
| 11-06-18 | पीठाधीन पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त। दिनांक 18-06-18 को रखे। |
| 18-06-18 | पीठाधीन पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त। दिनांक 02-07-18 को रखे। |
| 02-07-18 | <p>आभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अधिवक्ता हाजरी। द्वितीय पक्ष की झोले से जमान दाखिल किया गया। प्रथम पक्ष गवाही से दिनांक 23-07-18 को रखे।</p> <p style="text-align: right;">23/7/18</p> |
| 23-07-18 | <p>आभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। उक्त वाद में 6(6) गाह की अवधि पूर्ण है। उकी से अर्थात् वाद</p> |

5

पृष्ठ सं०-

| तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | |
|------|---|--|
| | <p>कालबाधित हो गया है। अतः वाद में अधिलेख की कारवाही बन्द की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">23/7/18</p> | |